माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) 2005
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION (10+2) 2005

प्रमाणपत्र-सह अंकसूची
CERTIFICATE-CUM MARKSHEET
MARCH - 2005

स.क्र./S.NO. 5220560

केन्द्र क्रमांक CENTRE NO.	संस्था क्रमांक SCHOOL NO.	पंजीयन/नामांकन क्रमांक REGISTRATION/ ENROLMENT NO.	नियमित/स्वाध्यायी/पत्राचार REGULAR / PRIVATE/ CORRESPONDENCE	रोल नंबर ROLL NUMBER
71060	711081	A01-752013-045	REGULAR	257123993

प्रमाणित किया जाता है कि
CERTIFIED THAT

श्री / सुश्री SHRI/SUSHRI SHISHUPAL RAJPOOT जिनके WHOSE

पिता / पति का नाम श्री FATHER'S / HUSBAND'S NAME IS SHRI JODHAN SINGH RAJPOOT

व माता का नाम सुश्री AND MOTHER'S NAME IS SUSHRI RADHA BAI है

इस बोर्ड की हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष - 2005 में संस्था / केन्द्र ** से सम्मिलित हुए
APPEARED IN THE HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION OF THIS BOARD IN THE YEAR 2005 FROM (SCHOOL / CENTRE)
** GOVT BOYS H S SCHOOL, SHAHPURA (JABALPUR)

एवं उनका परीक्षाफल AND HAS BEEN DECLARED PASS IN SECOND DIVISION रहा।

विषयवार प्राप्तांक निम्नानुसार अर्जित किए है :-
SUBJECT WISE MARKS OBTAINED ARE AS UNDER :-

विषय / SUBJECTS	अधिकतम अंक MAX. MARKS	न्यूनतम सैद्धांतिक MIN. THEO.	न्यूनतम प्रायोगिक MIN. PRACT.	प्राप्तांक/ MARKS OBTAINED सैद्धांतिक THEORY	प्रायोगिक PRACT.	योग TOTAL	योग शब्दों में TOTAL IN WORDS	विशेष REMARKS
HINDI (SPECIAL)	100	33		075		075	SEVENTY FIVE	DISTN
ENGLISH (GENERAL)	050	17		018		018	EIGHTEEN	
PHYSICS	100	25	08	031	021	052	FIFTY TWO	
CHEMISTRY	100	25	08	035	022	057	FIFTY SEVEN	
BIOLOGY	100	25	08	040	019	059	FIFTY NINE	
अतिरिक्त विषय ADDITIONAL SUBJECT	450					261		← महायोग GRAND TOTAL

महायोग शब्दों में : GRAND TOTAL IN WORDS : TWO HUNDRED SIXTY ONE ***

प्राचार्य के स्थायी से हस्ताक्षर एवं मुद्रा
SEAL AND SIGNATURE OF THE PRINCIPAL

प्राचार्य
शास. उ. मा. विद्यालय
शाहपुरा (भिटौनी) जबलपुर
कोड क्र. 711081

7110542 / 5271

सचिव / SECRETARY

(कृपया देखें)

हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) 2005

संकेत :

DISTN 75% या अधिक अंक मिलने के कारण संबंधित विषय में विशेष योग्यता दी गई है।

GRACE संबंधित विषय में कृपांक से उत्तीर्ण।

GRTH संबंधित विषय के सैद्धान्तिक भाग में कृपांक से उत्तीर्ण।

GRPR संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में कृपांक से उत्तीर्ण।

GRTP संबंधित विषय के सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनों भागों में कृपांक से उत्तीर्ण।

SUPPL संबंधित विषय में पूरक की पात्रता है।

SUPTH संबंधित विषय के सैद्धान्तिक भाग में पूरक की पात्रता है।

SUPPR संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में पूरक की पात्रता है।

SUPTP संबंधित विषय के सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनों भागों में पूरक की पात्रता है।

FAIL संबंधित विषय में अनुत्तीर्ण।

FLDTH संबंधित विषय के सैद्धान्तिक भाग में अनुत्तीर्ण।

FLDPR संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में अनुत्तीर्ण।

FLDTP संबंधित विषय के सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण।

ABS संबंधित विषय / प्रश्नपत्र में अनुपस्थित।

* पूरक परीक्षा का विषय दर्शाता है। (पूरक परीक्षार्थी के लिए)

** नियमित छात्रों के लिये संस्था व स्वाध्यायी एवं क्रेडिट स्कीम के छात्रों के लिए केन्द्र पढ़ा जाय।

नोट :

1. अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक महायोग में नहीं जोड़े जाते और न ही उसमें कृपांक दिये जाते है।
2. सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए विषय में कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होंगे।
3. पूरक परीक्षा के पात्र छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में सैद्धान्तिक अथवा प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उस भाग की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट रहेगी। उन्हें केवल उसी भाग में पूरक परीक्षा देनी होगी जिसमें प्राप्तांक 33 प्रतिशत से कम है।
4. हायर सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में नियमित, स्वाध्यायी एवं पत्राचार के परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होकर पूरक परीक्षा के पात्र घोषित परीक्षार्थियों को पूरक वाले विषय में सम्मिलित होने हेतु केवल एक अवसर आगामी पूरक परीक्षा में प्रदान किया जाएगा तथा उत्तीर्ण होने पर श्रेणी भी प्रदान की जाएगी।
5. हायर सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों को दो वर्षों में कुल चार अवसर लगातार परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु दिये जाएंगे। उत्तीर्ण होने पर श्रेणी भी प्रदान की जाएगी।

विशेष :

1. प्रमाणपत्र-सह अंकसूची अथवा अंकसूची में किसी भी प्रकार की कांट-छांट किया जाना अपराध है।
2. अंकसूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर त्रुटि दर्शाते हुए मूल अंकसूची तुरंत अथवा अंकसूची प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 2 माह के अन्दर मण्डल कार्यालय को सुधार हेतु भेजें। संशोधन नि:शुल्क किया जा सकेगा। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
3. प्राप्तांकों का सत्यापन शुल्क रु. 100/- (एक सौ रुपये) प्रति प्रश्न-पत्र निर्धारित है। परीक्षार्थी प्राप्तांकों के सत्यापन के विषयों एवं प्रश्नपत्रों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क एवं अंकसूची की सत्यापित फोटो कापी के साथ, परीक्षाफल घोषणा तिथि से तीस दिन के अन्दर मण्डल मुख्यालय अथवा मण्डल के संभागीय कार्यालयों में, निर्धारित आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं। मण्डल विनियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अत: पुनर्मूल्यांकन के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे। प्राप्तांकों के सत्यापन के फलस्वरूप अंक वृद्धि होने पर जमा की गई शुल्क वापस की जावेगी, किन्तु सत्यापन के फलस्वरूप परीक्षाफल अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण होने पर जमा की गई शुल्क के अतिरिक्त रुपये 500/- सांत्वना राशि के रूप में मण्डल द्वारा प्रदान किये जावेंगे।